FORM NO. III

फर्दअंहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी....................मुकाम ....तालेडा..................................

उच्छबलाल .... बनाम सरकार ....

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 88, 89 RTAct .... नं. 240 .... /दावा/ सन ...2024.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/12/24	वाद पत्र सरिस्ते से बाद रिपोर्ट होकर पेश हुआ। वादी मय अभिभाषक उपस्थित हुए। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 16/1/25 ....को पेश हो।	
16/1/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। अ... उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में ... अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स ... पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 3/2/25 को पेश हो	
3/2/25	पत्रावली पेश हुई। तलबी रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 10/3/25 को पेश हो।	
10/3/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 12/5/25 को पेश हो TOR Report प्राप्त।	
23/4/25	पत्रावली आज प्रा० पत्र शीघ्र सुनवाई पेश होने पर पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्यत्र पधारे है पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही दि. 30/4/25 को पेश हो।	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. पैरोकार सरकार मे जवाब पेश किया। वकील वादी ने बहस हेतु निवेदन करने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, TOR रिपोर्ट एवं बहस उभय पक्ष पर मनन करने पर वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

...नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला

.../दावा/2024 27.12.2024 30.04.2025

1. उच्छब लाल उर्फ उछबा उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया प्रजापत निवासी ग्राम खलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
2. शांतिलाल उर्फ सायला उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया प्रजापत निवासी ग्राम खलून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता वादी :– श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता प्रतिवादी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वाद पत्र वास्ते अधिकार घोषणा एवं नाम शुद्धीकरण

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 0.0405 हैक्ट0, खसरा सं. 807 रकबा 0.1295 हैक्ट0, खसरा सं. 819 रकबा 0.3318 हैक्टे0 जो वाके ग्राम खलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमे वादीगण का 1/12–1/12 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है। वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है वादीगण के पिता बद्री लाल की मृत्यू के उपरान्त भूमि पर फौती इंतकाल उनके वारिसान का खोला गया ततसमय वादी सं. 1 का बोलता नाम उछबा पुत्र बदरया व वादी सं 2 का बोलता नाम सायला पुत्र बदरया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि वादी सं 1 का सभी दस्तावेजो में नाम उच्छब लाल पुत्र श्री बद्रीलाल है व वादी सं. 2 का सभी दस्तावेजो मे नाम शांतिलाल पुत्र श्री बद्रीलाल अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण प्रार्थना पत्र मे उच्छब लाल व शांतिलाल अंकित होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन नहीं कर बोलता नाम उछबा पुत्र बदरया व सायला पुत्र बदरया राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया। जब फौती इंतकाल दर्ज हुआ तो उक्त भूमि पर वादी सं 1 का बोलता नाम उछबा पुत्र बदरया व वादी सं 2 का बोलता नाम सायला पुत्र बदरया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जबकि हम वादीगण द्वारा तहसील तालेडा में इस सम्बंध में शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु नाम उछबा पुत्र बदरया व सायला पुत्र बदरया ही दर्ज हुआ जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन–फानन में वादी का नाम उछबा पुत्र बदरया वादवर्णित कृषि भूमि मे वादीगण के हक अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय की अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे की वादी सं 1 उच्छब लाल उर्फ उछबा पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया एक ही व्यक्ति है इसी प्रकार वादी सं 2 शांतिलाल उर्फ सायला उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया एक ही व्यक्ति है जिनका उक्त भूमि पर हक व अधिकार है तथा वादी सं 1 उच्छब लाल उर्फ उछबा पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया एक ही व्यक्ति है इसी प्रकार वादी सं 2 शांतिलाल उर्फ सायला उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया दर्ज करने का आदेश प्राप्त करे। वादीगण माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखता है कि वादीगण वादपत्र में वर्णित वाद भूमि पर काबिज काश्त के आधार पर एवं दस्तावेजो के आधार पर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित करे कि पुनः वादीगण के खाते की भूमि जो वादपत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित है पर वादी सं. 1 का नाम उच्छब लाल उर्फ उछबा पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया व वादी सं 2 का नाम शांतिलाल उर्फ सायला उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया जाति कुम्हार दर्ज कर अंकित करे। अतः मान्यधर से प्रार्थना है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 0.0405 हैक्टेयर खसरा सं. 807 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सं. 819 रकबा 0.3318 हैक्टेयर जो वाके ग्राम खलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमे वादीगण का 1/12–1/12 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है पर वर्तमान

की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दस्तावेजो के आधार पर वादी स. 1 का नाम उच्छब लाल उर्फ श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया व वादी सं. 2 का नाम शांतिलाल उर्फ सायला उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल दरया जाति कुम्हार के नाम हक व अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी में वादी स. 1 का नाम उच्छब उर्फ उछबा पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ बदरया व वादी सं. 2 का नाम शांतिलाल उर्फ सायला उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री द्रीलाल उर्फ बदरया जाति कुम्हार दर्ज कर शुद्धीकरण करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।

वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 741 दिनांक 30.03.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 0.0405 हैक्टेयर खसरा सं. 807 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सं. 819 रकबा 0.3318 हैक्टेयर जो वाके ग्राम खलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमे वादीगण का 1/12–1/12 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है वादीगण उच्छब पुत्र बदरया व सायला पुत्र बदरया का नाम सभी दस्तावेज आधार कार्ड , बैंक खाता, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड में उच्छबलाल पुत्र बद्रीलाल व शांतिलाल पुत्र बद्रीलाल जाति प्रजापत अंकित है। जो कि वादीगण का नाम फोती नामान्तकरण दर्ज करते समय ग्रामवासियों द्वारा बोलता नाम उछबा व सायला दर्ज करा दिया गया जबकि वास्तविक नाम उच्छबलाल पुत्र बद्रीलाल व शांतिलाल पुत्र बद्रीलाल था। ऐसी स्थिति में वादीगणो का नाम राजस्व रेकार्ड में उछबा पुत्र बदरया व सायला पुत्र बदरया के स्थान पर उच्छबलाल उर्फ उछबा पुत्र बद्रीलाल उर्फ बदरया व शांतिलाल उर्फ सायला पुत्र बद्रीलाल उर्फ बदरया किये जाने की अनुशंषा की ।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 293 संवत 2076 वाके ग्राम खलुन्दा,ग्राम पंचायत सुंवासा का प्रमाणपत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादीगण का नाम उछबा पुत्र बदरया व सायला पुत्र बदरया के स्थान पर उच्छबलाल उर्फ उछबा पुत्र बद्रीलाल उर्फ बदरया व शांतिलाल उर्फ सायला पुत्र बद्रीलाल उर्फ बदरया दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार वादीगण का नाम संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं0 293 संवत 2076 वाके ग्राम खलुन्दा,ग्राम पंचायत सुंवासा का प्रमाणपत्र व आधार कार्ड का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि वादीगण का नाम उछबा पुत्र बदरया व सायला पुत्र बदरया के स्थान पर उच्छबलाल उर्फ उछबा पुत्र बद्रीलाल उर्फ बदरया व शांतिलाल उर्फ सायला पुत्र बद्रीलाल उर्फ बदरया किया जाना उचित है। है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 0.0405 हैक्टेयर खसरा सं. 807 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सं. 819 रकबा 0.3318 हैक्टेयर वाके ग्राम खलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी मे वादीगण का नाम उछबा पुत्र बदरया व सायला पुत्र बदरया के स्थान पर उच्छबलाल उर्फ उछबा पुत्र बद्रीलाल उर्फ बदरया व शांतिलाल उर्फ सायला पुत्र बद्रीलाल उर्फ बदरया दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा